

आदेशक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii) एफएसएस एक्ट 2006 के अन्तर्गत विकृत शीशमण्डल दिनांक 06.10.25 को प्रस्तुत किया गया है। शीशमण्डल को जलिय नोटिस तलब किया गया। निचल दिनांक 27.03.2026 को शीशमण्डल उपस्थित। इस्पात की नकल देते हुए शीशमण्डल को इस्पात में अंतर्गत आये सजाया गया कि दिनांक 08.05.2025 को दोपहर 3.10 बजे शीशमण्डल के खाट में शीशमण्डल की उबल कुकन पर आम जनता के इस्तेमाल के लिये विकस हेतु कुकन में रखे हुए प्लास्टिक कट्टे में लगभग 05 किग्रा शीशमण्डल (Dhaniya powder) रखी हुई पाई गई। जिनमें शीशमण्डल का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल दिनांक 22.05.2025 द्वारा उबल शीशमण्डल (Dhaniya powder) का नमूना (contravene regulation no-2.3.14(1) (b) of food Safety and Standards(Prohibition and Restrictions on sales) Regulation 2011, because it sold in loose condition प्रकृति का शीशमण्डल 2.3.14(1) (b) of food Safety and Standards(Prohibition and Restrictions on sales) Regulation 2011, because it sold in loose condition प्रकृति का शीशमण्डल

दिनांक : 02.04.2026

निर्णय

1. प्रार्थना स्वीकृत।
2. शीशमण्डल स्थल

उपस्थित :

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii) एफएसएस एक्ट 2006 के अन्तर्गत 2011

श्रीशमण्डल
निवासी मुख्य मार्केट इलेना भरतपुर।
एच.कृष्ण (भातिक/विकला) पुत्र सोहनलाल शर्मा सोहनलाल, इलेना भरतपुर

आदेशक
भरतपुर।
उपस्थित, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य शिकरी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

प्राथमिक संख्या : 55/2025 प्रार्थना पत्र (आ.स.आ.)

(श्रीशमण्डल अधिकारी, धनश्याम शर्मा, आर.सी.आर.)

कार्यालय खाद्य निर्माण अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर



परतपुर (राज)
 एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर
 राज्य निर्माण अधिकांश
 (परतपुर शाखा)

५

निर्देश आज दिनांक 02.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

कैसल बाजार होकर बाद पूर्वी दाखिल दफतर की जावे।
 15,000/- रुपये (पन्द्रह हजार रुपये) के अंदर से दफिदर किया जाता है। पत्रावली
 धारा 51 के तहत शेरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर
 दी जाती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, उक्त अनियमितता की
 में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं होने की संभावना शेरसायल की
 का विक्रय करना स्वीकार किया है। शेरसायल की प्रथम गजली होने के कारण शरिख
 इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं सावधानी पूर्वक फूड प्रोडक्ट
 in loose condition प्रकृति का पया गया है। दौरान सुनवाई शेरसायल के द्वारा शरिख में
 and Standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulation 2011, because it sold
 (Dhaniya powder) का नमूना (contravene regulation no-2.3.14(1) (b) of food Safety
 जांच रिपोर्ट एलएस/595/2025/615 दिनांक 22.05.2025 द्वारा उक्त धानिया पाउडर
 धानिया पाउडर (Dhaniya powder) रखा हुआ पया गया खाद्य विरोधक परतपुर की
 जनता के विक्रय विक्रय हेतु दुकान में रखे हुए एनालिटिक कंटेंट में लगभग 05 फीसद
 शीघ्र सहनता, हलना परतपुर दौरान निर्दिष्ट/जान शेरसायल की फर्म पर आम
 किया गया। दिनांक 22.04.2025 को दोपहर 12.30 बजे शेरसायल की दुकान में
 इसने पत्रावली का अवलोकन किया। शेरसायल के कथनों पर मनन

कल अपनाते हुए कायदाही की जावे।
 देखभाल करके ही कोई प्रोडक्ट का विक्रय करेगा। इसलिये शेरसायल के प्रति परम
 शेरसायल की यह प्रथम गजली है, जिसके लिये शेरसायल शरिख में सावधानी पूर्वक
 शेरसायल द्वारा यह ग्रेट सहन से होने के कारण शरिख को स्वीकार करता है।
 powder) की जांच रिपोर्ट में इतिहासिक माना जाकर अनुमानक स्तर का पया गया है।
 because it sold in loose condition प्रकृति का पया गया है। धानिया पाउडर (Dhaniya
 Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulation 2011,
 विरोधक परतपुर की जांच रिपोर्ट में (contravene regulation no-2.3.14(1) (b) of food
 धानिया पाउडर (Dhaniya powder) की जांच हेतु नमूना लिया गया है जो खाद्य
 सुखा अधिकांश द्वारा शेरसायल की फर्म में शीघ्र सहनता, हलना परतपुर से
 शरिख को मन व समझकर शेरसायल ने कथन किया है कि खाद्य
 किया गया है।
 (Dhaniya powder) विक्रय करके एकपरएक 2006 की धारा 28(2)(ii) का उल्लंघन